

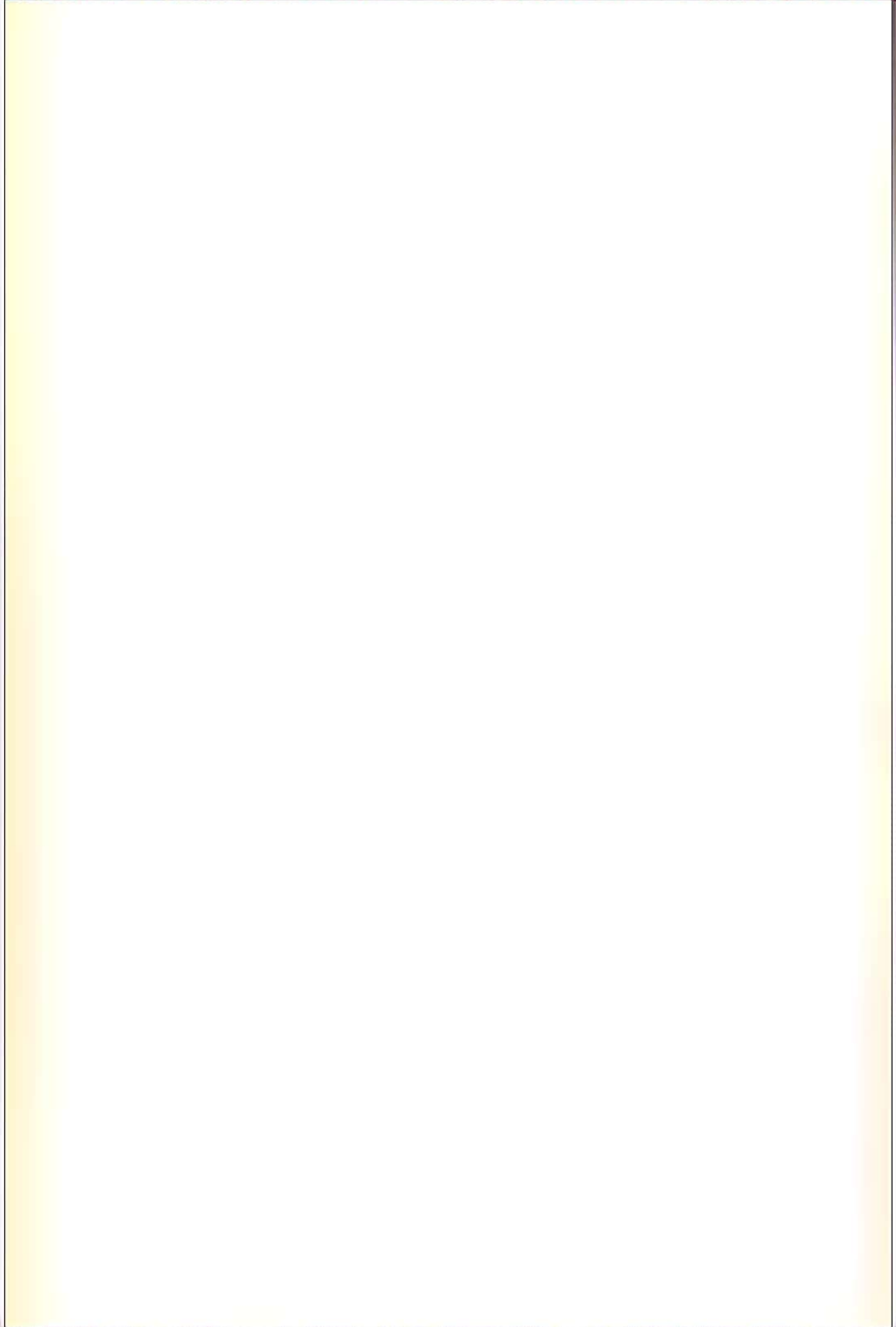


जनजातीय काष्ठकला

एक मोनोग्राफ अध्ययन

निर्देशन : आशीष कुमार भट्ट IFS
मार्गदर्शन : जी. एम. झा
क्षेत्रकार्य एवं
प्रतिवेदन : डॉ. राजेन्द्र सिंह
अमर दास

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर
छत्तीसगढ़



अध्याय - 1

परिचय

भारत में विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के लोग निवास करते हैं। इनमें से कुछ समुदाय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से दूर वन, पहाड़ों, घाटियों, तराईयों तथा तटीय क्षेत्रों में विशिष्ट जीवन शैली, रहन-सहन, संस्कृति को अपनाये हुये सदियों से निवासरत हैं। ऐसे मानव समुदाय को नेटिव, वनवासी, वन्यजाति, देशज, आदिमजाति, जनजाति, आदिवासी आदि नामों से संबोधन करते हुये पहचान किया गया है। इनमें से प्रत्येक समुदाय के विशिष्ट नाम, बोली, निवास क्षेत्र, विशिष्ट संस्कृति आदि पाये जाते हैं। स्वतंत्रता पश्चात इन्हे संविधान में अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया। वर्तमान में देश में लगभग 705 अनुसूचित जनजाति समुदाय निवासरत हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति समुदाय की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है, यह राष्ट्र की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है।

1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य भारत के 26 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य में 42 जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय की कुल जनसंख्या 78.23 लाख है। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 30.6 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ राज्य में गोंड तथा उसकी उपजातियाँ, हल्बा, कंवर, पहाड़ी कोरवा, मुंडा, ओरांव, भतरा, बिंझवार, बैगा, आदि जनजातियाँ निवास करती हैं।



छत्तीसगढ़ राज्य विभिन्न कलाओं के लिये प्रसिद्ध है। राज्य में निवासरत लोगों के जन मानस में व्याप्त विचार, कला, परंपरा, जीवन दर्शन व शैली बहुरूपों में अभिव्यक्त होती है। यह समयानुरूप अभिव्यक्ति के विविध माध्यम से प्रकट होती है। राज्य में लोककला, दृश्यकला, नृत्यकला, धातुकला, मिट्टीकला, काष्ठकला आदि का समृद्ध इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में व्याप्त कलारूपों का जीवन, प्रकृति तथा संस्कृति से सीधा जुड़ाव होता है। वे अपने दैनिक जीवन तथा परिवेश में घटित घटनाओं को गीत, संगीत, कथा, कहानियों, भित्ति चित्र, पेंटिंग, काष्ठ नक्काशियों के माध्यम से व्यक्त करते आ रहे हैं।



छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में काष्ठ पर किये जाने वाली कारीगरी अपनी मौलिकता, रचनात्मकता, सुंदरता तथा उपयोगिता के कारण देश-विदेश में लोकप्रिय है। यह जनजातीय परिवेश की सीमाओं को लांघकर शहरों के बैठक कक्षों में फर्नीचर, शो-पीस, वाल हैंगिंग, मूर्तियों, मॉडर्न आर्ट के रूप शोभायमान हो चुका है।

काष्ठ कला का तात्पर्य उस कला से है जो काष्ठ या बांस पर नक्काशी या खुदाई (Carving) तथा औजारों से कारीगरी कर कलात्मक स्वरूप प्रदान किया गया हो। प्रायः ये कलाकारी जनसामान्य अपने व्यक्तिगत रुचि एवं मूल परिवेश पर आधारित होता है। छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत जनजातीय समुदाय द्वारा निर्मित काष्ठ कला

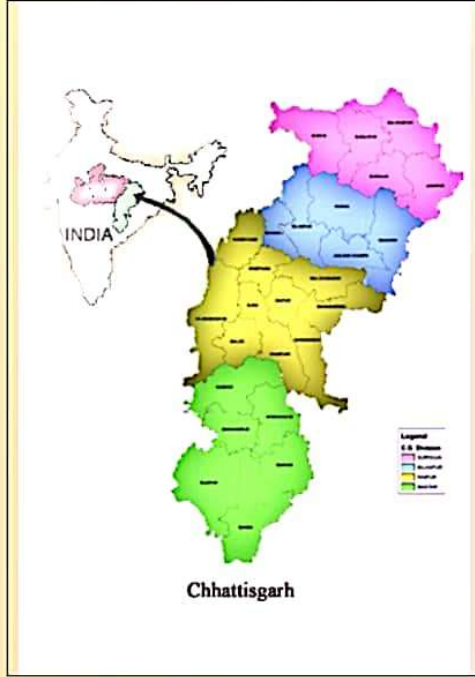


आकृति विश्व प्रसिद्ध है। जनजातीय क्षेत्रों में प्राचीन समय से ही बैल गाड़ी के पहियों, मूर्तियों, घरों के दरवाजों आदि में काष्ठ कला का दर्शन होता है।

आदिवासी संस्कृति का न केवल महत्वपूर्ण वरन् अभिन्न हिस्सा है। जनजातीय क्षेत्रों में कला का समृद्ध विकास एवं वितरण देखने को मिलता है। अलंकरण से लेकर मूर्तिकला तक की समृद्धि इन केन्द्रों में देखी जा सकती है। काष्ठ कला के रूप में बस्तर की माड़िया जनजाति के युवा गृह, घोटुल के खंभे, देवी झूले, परम्परागत मृतक स्तंभ, विवाह स्तंभ, तीर-धनुष, कुल्हाड़ी आदि पर सुन्दर बेल-बूटों के साथ पशु-पक्षियों की



अध्ययन क्षेत्र एवं प्रविधि -



छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जनजातीय बहुल क्षेत्र है। इस राज्य के उत्तर एवं दक्षिणी भाग में स्थित सरगुजा तथा बस्तर गहन वन तथा जनजातीय क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। राज्य में निवासरत जनजातीय समुदाय अपने दैनिक जीवन में काष्ठ का बहुतायत से उपयोग करते हैं। वे दैनिक उपयोगी विविध काष्ठ सामग्रियों को सुंदरता, नवीनता, विशिष्टता के लिये कलात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। जिसने कालांतर में बाहरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। जनजातीय काष्ठकला के लिये बस्तर क्षेत्र को देश-दुनिया में जाना-पहचाना जाता है। काष्ठकला हेतु *Registrar of Geographical Indication Chennai, Govt of India, for uniqueness of creation* द्वारा बस्तर क्षेत्र को भौगोलिक संकेत (Geographical Indication- GI tag) क्रमांक-84 दिनांक-12.03.2007 प्रदान किया गया है।

अतः जनजातीय काष्ठकला का मोनोग्राफ अध्ययन हेतु बस्तर क्षेत्र का चयन कर अध्ययन किया गया। इस अध्ययन हेतु बस्तर संभाग के सात जिलों कांकर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतवाड़ा, सुकमा तथा बीजापुर में जनजातीय काष्ठकला से संबंधित तथ्यों का संकलन किया गया। जनजातीय काष्ठकला से संबंधित प्राथमिक तथ्यों का संकलन काष्ठकला शिल्पियों, जनजातीय

सदस्यों, काष्ठकला व्यवसाय में संलग्न शासकीय व निजी संस्थाओं के व्यक्तियों/अधिकारियों/संचालकों तथा काष्ठकला से जुड़े व्यक्तियों से किया गया है।

प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु असहभागी अवलोकन प्रविधि, साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग किया गया, काष्ठकला के निर्माण से लेकर उपयोग या विक्रय तक की सभी क्रियाओं का फोटोग्राफी किया गया। जनजातीय काष्ठकला से संबंधित द्वितीयक तथ्यों का संकलन श्रेष्ठ ग्रंथों, शोध पत्रिकाओं, शासकीय प्रतिवेदनों तथा विविध प्रकाशनों से किया गया एवं तथ्यों के विश्लेषण उपरांत प्रतिवेदन तैयार किया गया।

जनजातीय परिचय

बस्तर संभाग में दो तिहाई से अधिक जनजातीय जनसंख्या है। बस्तर में गोंड तथा उसकी उपजातियां यथा मुरिया, दंडामी माड़िया, अबूझमाड़िया, धुरवा, दोरला तथा हल्बा, भतरा, गदबा, परधान आदि जनजाति निवास करती हैं। गहन वन, नदी, पहाड़ व घाटियों से युक्त बस्तर में जनजातियों का आदिकाल से निवास स्थल रहा है। इन जनजातियों के संस्कृति में वन तथा काष्ठ का अटूट संयोग है। सामुदायिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन, प्रत्येक पक्ष में काष्ठ निर्मित भौतिक संस्कृति की भूमिका अहम रही है। काष्ठ निर्मित भौतिक संस्कृति के अनेक सामग्रियों को सुंदरता प्रदान करने के लिये उनमें विभिन्न प्रकार की कारीगरी की जाती है। बस्तर की गोंड, मुरिया, दंडामी माड़िया, अबूझमाड़िया, धुरवा जनजातियों में काष्ठकला के प्रति विशेष झुकाव पाया जाता है। वर्तमान में मध्य बस्तर तथा उत्तरी बस्तर में काष्ठकला का कार्य अधिक किया जा रहा है। मुरिया तथा अबूझमाड़िया जनजाति के घोटूल (युवागृह) के कलात्मक नक्काशीयुक्त दरवाजे, खंबे, पीढ़ा, कंधी, बालों में खोंचने वाले काष्ठ निर्मित पिन, तंबाकू डिब्बी काष्ठकला के बेहतरीन नमूने हैं। नक्काशीयुक्त काष्ठ निर्मित स्मृति स्तंभ दंडामी माड़िया जनजाति की कलाप्रियता को दर्शाता है। जिसमें मृत व्यक्ति के जीवन से जुड़ी घटनाओं व जनजातीय संस्कृति से जुड़े पहलुओं को नक्काशी कर उकेरा जाता है। इससे स्पष्ट है कि काष्ठकला जनजातीय जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है।



जनजातीय काष्ठकला

छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय बहुल राज्य है। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 30.6 प्रतिशत है अर्थात् लगभग एक तिहाई जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है। राज्य में जनजातियों के निवास क्षेत्र गहन वन, नदी, घाटी क्षेत्र में हैं। इस कारण राज्य के जनजातियों की जीवन शैली, रहन-सहन, सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक जीवन पर पर्यावरण का गहरा प्रभाव है। राज्य के वनों में ईमारती तथ्य गैर ईमारती प्रजाति के वृक्ष बहुतायत से पाये जाते हैं। राज्य में वन क्षेत्रफल लगभग 59772 वर्ग किलोमीटर है, यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.21 प्रतिशत है। राज्य के लगभग 50 प्रतिशत गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में आते हैं। जिसके निवासी मुख्यतः आदिवासी हैं एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं।



किसी क्षेत्र में निवासरत जनजातीय समुदाय को आदिकाल से निवासरत मानव समुदाय माना जाता है। वह अपने परिवेश में व्याप्त वस्तुओं का उपयोग कर अपनी भौतिक संस्कृति का निर्माण करता है। छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातियों का जीवन वनों पर आधारित है। वे वन से उपभोग हेतु कंदमूल, फल, फूल, पत्तियाँ, बीज, मशरूम आदि संकलन करते हैं, विक्रय हेतु लघु वनोपजों, दातौन, पत्तियाँ, फल, फूल, शहद, गोंद आदि तथा दैनिक उपयोग तथा जीवनोपयोगी सामग्री निर्माण हेतु पत्ते, दातौन, बांस, लकड़ी, झाड़ियाँ, छाल आदि का संकलन करते हैं। इनमें से काष्ठ सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। वृक्षों के सान्निध्य में ही वनवासी व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है तथा वृक्षों के विभिन्न भाग या अंगों का उपयोग अपने जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिये करता है। छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय समुदाय के दैनिक जीवन में काष्ठ निर्मित वस्तुओं की अधिकता है। इनका निर्माण व उपयोग जनजातीय समुदाय आदिकाल से कर रहा है। जैसे- अनाज कूटने की ढंकी, ओखली-मूसर, तेल निकालने का तेलासी, खेतों में जुताई का हल, बैलगाड़ी आदि ऐसी अनेक वस्तुएँ हैं।

जनजातीय समाज में काष्ठ निर्मित अनेक वस्तुओं को सुंदर, आकर्षक, रचनात्मक तथा कलात्मक स्वरूप में निर्मित किया गया है। जो उपयोगी होने के साथ-साथ कलात्मक भी हैं। काष्ठकला,



जनजातीय समाज के कलाप्रियता का परिचायक है तथा यह आदिकाल से मौलिक रूप में प्रचलित है। इनका निर्माण वस्तुओं को व्यक्तिगत पहचान प्रदान करने, मनोभावों को प्रकट करने, प्रस्थिति को दर्शाने के लिये तथा सामुहिकता के प्रतीक स्वरूप किया जाता है। वर्तमान में जनजातीय काष्ठकला व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है। देश-विदेश में जनजातीय काष्ठशिल्प तथा फर्नीचरों में निर्मित जनजातीय काष्ठकला की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है।

बस्तर संभाग में जनजातीय काष्ठकला प्रायः सभी क्षेत्रों में पायी जाती है, लेकिन मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्रों में काष्ठकला की अधिकता पायी जाती है। वर्तमान में बस्तर जिले के टाकरागुड़ा, देऊरगांव, लामकर, भाटपाल, सरगीगुड़ा, भोंड, बस्तर, भालूगुड़ा, मावलीगुड़ा, रतेंगा, जगदलपुर, बांसपानी, उमरगांव, कोहकापाल आदि ग्रामों में कोंडागांव जिले के कोंडागांव, लंजोड़ा, गोलावंड, करनपुर, बालनपुर, तोरण आदि, नारायणपुर जिले के नारायणपुर, बेनूर, गढ़बेंगाल, देवगांव, पालकी, बिंजली, हलामी मुंजमेटा, नाऊ मुंजमेटा आदि में काष्ठकला के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण

किया जा रहा है।

बस्तर में जनजातीय काष्ठकला दो रूपों में विद्यमान है। प्रथम, जनजातीय जीवन संस्कृति से जुड़े काष्ठकला जैसे- चुनौटी या तंबाकू डिब्बी, स्मृति स्तंभ आदि। द्वितीय, व्यावसायिक काष्ठकला, जिसमें काष्ठशिल्पी द्वारा स्वयं या समूह में या किसी व्यवसायी के संस्थान में व्यावसायिक रूप से काष्ठशिल्प का निर्माण किया जाता है।



काष्ठकला का विकास

छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय समुदाय में काष्ठकला का निर्माण आदिकाल से किया जा रहा है। जनजातीय समाज संकलन, शिकार, पशुपालन, मतस्य आखेट, दस्तकारी, स्थानांतरित एवं परंपरागत कृषि आधारित एकाधिक आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर जीवन यापन करता रहा है। आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के श्रमसाध्य कार्य में पारिवारिक सहभागिता पायी जाती हैं। इस प्रकार जीवन में



व्याप्त एकरसता व निरसता को दूर करने में कला, उत्सव, नृत्य-संगीत, जन्म व विवाह संस्कार तथा मनोरंजन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनजातीय समाज में काष्ठकला, लौहकला, दस्तकारी, बांसकला आदि का प्रचलन है। जनजातीय काष्ठकला का विकास क्रमिक रूप से पाया जाता है। जनजातीय समाजों में काष्ठकला प्रारंभिक काल में अनगढ़ व साधारण प्रकार के थे, जैसे- विभिन्न प्रकार के मुखौटे, वाद्य यंत्र स्त्री-पुरुष की मूर्तियां आदि। जिसका निर्माण उपयोगिता आधारित था, जिसे उद्देश्यानु रूप यथोचित स्थान पर रखा या स्थापित किया जाता था। जिसका निर्माण व उपयोग स्वयं व्यक्ति, परिवार या समुदाय द्वारा किया जाता था। प्रारंभिक काष्ठकला अपने उद्देश्य, मूल विचारों तथा उपलब्ध संसाधनों द्वारा निर्माण किया जाता था। यह सीमित संख्या में बनाये जाते थे। जनजातीय समाज व्यवस्था में विशेषीकरण का अभाव होने के कारण काष्ठ कलाकृतियों के शिल्पी अपनी व्यक्तिगत रुचि, लगन व मेहनत से सीखते हुये बनाया जाता था। वरिष्ठ शिल्पी के सहयोग या पूर्व निर्मित कलाकृतियों से उनका मार्गदर्शन होता था। कालांतर में काष्ठकला, निरंतरता व सौंदर्यबोध के समावेश के कारण विकसित होने लगी।



घोटूल द्वार, खंबे, घोटूल खंब, देवगुड़ी के द्वार, कंधियाँ, तंबाकू डिब्बी, उरसेगट्टा या स्मृति स्तंभ, विभिन्न प्रकार के मुखौटे, वाद्य यंत्र, स्त्री-पुरुष की मूर्तियां आदि अनेक काष्ठशिल्प को प्रमाण स्वरूप माना जा सकता है।



वर्तमान में काष्ठकला अपने विकसित स्वरूप में है। काष्ठकला बाजार तथा मांग आधारित हो गया है। पूर्व में यह अपने मनोभावों की रचनात्मक अभिव्यक्ति थी जबकि वर्तमान में यह रोजगार तथा आजीविका के साधन के रूप में है। वर्तमान में आवागमन, पर्यटन, काष्ठकला के प्रति लोगों की रुचि के कारण काष्ठकला की मांग में वृद्धि हुई है। जनजातीय समाज के युवाओं को



काष्ठकला का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में काष्ठशिल्प का निर्माण काष्ठशिल्पी द्वारा निजी रूप में या स्व-सहायता समूह में या किसी व्यापारी के पास मजदूर के रूप में किया जा रहा है।

काष्ठकला का स्वरूप

जनजातीय समाज में पाये जाने वाले पारंपरिक स्वरूप के काष्ठकला को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है- पहला श्रृंगार सामग्री व व्यक्तिगत उपयोगी वस्तुयें। श्रृंगार व व्यक्तिगत उपयोगी वस्तुयें आकार में छोटे, सुंदर व बारीक नक्काशीदार होते हैं, जिसमें सीधी, तिरछी

रेखाओं, गोलाकृति का अंकन अधिक होता है। इसका निर्माण उपहार व व्यक्तिगत उपयोग के लिये किया जाता है। इसके अंतर्गत मुरिया, अबूझमाड़िया जनजाति के युवक-युवतियों द्वारा श्रृंगार के लिये अनेक प्रकार के कलात्मक कंधे, बालों में खोंचने वाले काष्ठ के नक्काशीदार पिन, बालों में लगाने वाले काष्ठ के नक्काशीदार चौकोन टुकड़े, अनेक आकार, प्रकार के तंबाकू रखने का चुनौटी, कलात्मक हथ्थे वाले चाकू आदि शामिल किया जा सकता है। दूसरा पारिवारिक व सामुदायिक उपयोगी वस्तुयें। ऐसी वस्तुओं में प्रतीकात्मक आकृतियों, दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं, प्रकृति तथा संस्कृति से संबंधित प्रतीकों का अंकन होता है। ये आकार में बड़े होते हैं तथा इनकी नक्काशी साधारण होती है। इसके अंतर्गत घोटूल अर्थात् युवागृह के द्वार, खंबे, घोटूल खंब, देवगुड़ी के द्वार, देवी-देवताओं के प्रतीक, डोली, आंगा देव, देव प्रतीकों को रखने के स्थान पर बनाये गये खंबों के स्टैंड, देवी कुर्सी, उरसेगट्टा या स्मृति स्तंभ, पीढ़ा आदि अनेक वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। इनका निर्माण समुदाय के सदस्य सामूहिक रूप से करते हैं या काष्ठकला निर्माण में निपुण व्यक्तियों से निर्माण करवाया जाता है।



काष्ठशिल्प निर्माण प्रक्रिया

काष्ठशिल्प निर्माण कार्य अत्यंत धैर्य, एकाग्रता व निरंतरता का कार्य है। आकार, आकृति व नक्काशी कार्य के आधार पर काष्ठशिल्प एक दिवस से कई सप्ताह में बनाया जाता है। जिसमें एक या अधिक शिल्पी होते हैं। काष्ठशिल्प निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। जिसका विवरण निम्नांकित है-

काष्ठ का प्रकार-

काष्ठशिल्प निर्माण की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काष्ठ का चयन है। काष्ठशिल्प सागौन, सिवना या खम्हार, मोदे वृक्ष की लकड़ी से निर्मित किया जाता है। जिसमें सागौन को ईमारती लकड़ी होने व इसके फर्नीचर की मांग अधिक होने के कारण प्राथमिकता दिया जाता है। सागौन की लकड़ी का रंग भूरा होता है तथा यह वजन में हल्का, मुलायम, मजबूत व टिकाऊ तथा रेशेदार होने के कारण काष्ठशिल्प निर्माण हेतु पहली पसंद होता है। सागौन की लकड़ी मुलायम होने के कारण इसमें नक्काशी करना सरल होता है तथा सागौन की लकड़ी की आंतरिक संरचना रेशेदार होने के कारण

काष्ठशिल्प बेहद सुंदर दिखाई देती है किंतु सागौन की लकड़ी महंगी होने के कारण सिवना, मोदे आदि वृक्ष की लकड़ी से भी काष्ठशिल्प तैयार किया जाता है। इनका रंग हल्का पीला होता है, यह हल्का व मुलायम होता है किंतु यह कम मजबूत होता है।



सिवना या खम्हार काष्ठ

काष्ठ प्राप्ति विधि-

काष्ठशिल्प निर्माण हेतु काष्ठ काष्ठागारों में नीलामी, साँ-मिल तथा काष्ठागार से प्राप्त होता है। जनजातीय काष्ठशिल्पियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आवश्यकतानुसार साँ-मिल से काष्ठ क्रय करते हैं। अनेक काष्ठशिल्पी दुकानों में कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति में दुकान का स्वामी काष्ठ की व्यवस्था करता है। साँ मिल में मिलने वाले काष्ठ महंगे होते हैं किंतु म्हांग व आकार के अनुरूप सहजता से प्राप्त होने के कारण काष्ठशिल्पी इनसे क्रय करना पसंद करते हैं।

काष्ठ शिल्प निर्माण विधि-



काष्ठशिल्प निर्माण में आकार अनुसार विविधता पाया जाता है। सर्वप्रथम काष्ठ का चयन कर उसकी गुणवत्ता परखा जाता है तथा काष्ठ को वांछित आकार देकर शिल्प बनाया जाता है। काष्ठशिल्प निर्माण विधि को दो भागों में बांटा जा सकता है- पहला, एकल काष्ठीय शिल्प- इसके अंतर्गत एक काष्ठ पर बनाये गये शिल्प को रखा गया है। जैसे- विभिन्न प्रकार व आकार की मूर्तियाँ, शो पीस, स्मृति स्तंभ, देवगुड़ी तथा घोटूल के खंबे, पेनल आदि। ऐसे शिल्प तैयार करने के लिये काष्ठ पर पेंसिल या किसी औजार से संपूर्ण डिजाइन तैयार कर दिया जाता है। इसके बाद औजारों से नक्काशी कर काष्ठ से डिजाइन से परे शेष काष्ठ निकाल दिया जाता है। जिससे काष्ठशिल्प का स्वरूप तैयार हो जाता है। इसके बाद शिल्पी उपयोगी औजारों की मदद से बारीकी से कार्य कर काष्ठशिल्प की नक्काशी करता है तथा तत्पश्चात् काष्ठशिल्प को छोटे रेतमल कागज



(नंबर-80) से घिसा जाता है, जिससे काष्ठशिल्प का खुरदुरापन दूर होकर चिकनी सतह के रूप में परिमार्जित होता है। इसके बाद पुनः शिल्प में बेल-बूटे, पत्ते, आंख, नाक आदि बारीक भागों का नक्काशी कार्य कर सजावट किया जाता है व आधार लगा दिया जाता है। अंतिम चरण में काष्ठशिल्प पर काष्ठ पुट्टी किया जाता है, जिससे काष्ठ में

छेद, दरार हो तो वह न दिखे। पुट्टी सुखने के बाद काष्ठशिल्प को बारीक रेतमल कागज(नंबर-100 व 120) से घिसा जाता है, जिससे काष्ठशिल्प पर पुट्टी की शेष परत हट जाता है व नक्काशी उभर जाती है। अंत में काष्ठशिल्प पर चंदरस, चापड़ा, फेविकोल तथा साल्वेंट से तैयार मिश्रण से पॉलिश किया जाता है व सुखाया जाता है।



दूसरा, बहु काष्ठीय शिल्प-

इसमें एकाधिक काष्ठ को संयुक्त कर निर्मित शिल्प को रखा जा सकता है। जैसे - दशहरा रथ, देवी डोली, अङ्गा देव, देव कुर्सी, आधुनिक फर्नीचर जैसे- सोफा, पलंग, दीवान, डायनिंग टेबल, कुर्सीयां आदि। ऐसे काष्ठशिल्प निर्माण हेतु सुव्यवस्थित परिकल्पना व योजना की

आवश्यकता होती है। इसके निर्माण के दो चरण होते हैं- पहले चरण में, काष्ठशिल्पी या बढ़ई या कारीगर द्वारा उचित मात्रा व आकार में काष्ठ चयन कर काष्ठशिल्प का मूलरूप निर्माण कर लेता है। इसके बाद उन्हें नक्काशी हेतु अलग-अलग भागों में निकाल देता है। दूसरे चरण में, काष्ठशिल्प पर नक्काशी का

कार्य किया जाता है।



इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि, यदि सम्मान डिजाईन के एक से अधिक भाग हैं तो पहले भाग के काष्ठ पर पेंसिल या किसी औजार से संपूर्ण डिजाइन तैयार करने के बाद उसके उपर ट्रेसिंग पेपर या नकल करने का कागज रख कर पेंसिल से डिजाइन की प्रतिकृति तैयार करते हैं। जिसे काष्ठशिल्प के समान शेष भागों में रखकर पेंसिल से उकेरा जाता है व नक्काशी किया जाता है। जिससे फर्नीचर या काष्ठशिल्प के सभी समान हिस्सों के डिजाईन में समानता व एकरूपता होती है। काष्ठ पर नक्काशी करने की प्रक्रिया एकल काष्ठीय शिल्प के समान ही है। नक्काशी कार्य पूर्ण होने के उपरांत सभी हिस्सों को जोड़ लिया जाता है।

परंपरागत काष्ठशिल्प से परे एक नये स्वरूप का काष्ठशिल्प विगत कुछ वर्षों से प्रचलन में है। इसका निर्माण बस्तर, कोंडागांव तथा नारायणपुर जिले में मुरिया, भतरा जनजाति तथा लोहार जाति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। कच्चे काष्ठ पर निर्माण, लोहे के गर्म औजारों से विभिन्न आकृतियों का



अंकन तथा सस्ती दर इस काष्ठशिल्प की मुख्य विशेषता है। बस्तर जिले के रतेंगा, कोंडागांव जिले के बांसपानी व करनपुर, नारायणपुर जिले के देवगांव, गढ़बेंगाल में बनाया जाता है।



काष्ठ शिल्प निर्माण के औजार-

काष्ठशिल्प निर्माण में विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता है। काष्ठशिल्प नक्काशी कार्य में एक ही प्रकार के छोटे-बड़े अनेक औजार पाये जाते हैं। वर्तमान में काष्ठशिल्प निर्माण कार्य में परंपरागत तथा आधुनिक औजारों का समावेश पाया जाता है। इसमें कुल्हाड़ी, बसूला, आरी, रेतमल, विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े लोहे के औजार तथा आधुनिक ड्रिलिंग मशीन, कटर आदि मशीनों का भी उपयोग होने लगा है। काष्ठशिल्प निर्माण के परंपरागत औजार लोहे व काष्ठ निर्मित होते हैं। इसे स्थानीय लोहार से बनवाया जाता है या बाजार से क्रय किया जाता है या प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान किया जाता है। जिनका विवरण निम्नांकित है-



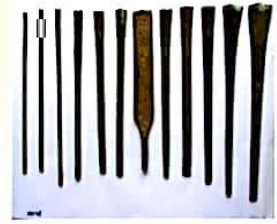
1. कचक या पटाशी-

कचक या पटासी, काष्ठशिल्प रचना का मुख्य औजार है। काष्ठशिल्प निर्माण की विभिन्न प्रक्रिया व कार्य के अनुरूप यह 12-15 प्रकार के होते हैं, जिसका कार्यांग क्रमशः संकरा से चौड़ा होता है। लौह निर्मित इस लंबे औजार का आकार आयताकार व कार्यांग चौड़ा, धारदार तथा पिछला सिरा चौड़ा होता है। कचक या पटाशी से काष्ठशिल्प निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है। कचक या पटाशी के कार्यांग या धारदार सिरे को काष्ठ पर रखकर पिछले भाग पर काष्ठ की हथौड़ी से प्रहार किया जाता है। इस औजार के विभिन्न प्रकारों का उपयोग काष्ठशिल्प में नक्काशी के लिये आवश्यकतानुसार किया जाता है। चौड़े कार्यांग वाले औजार से काष्ठ फलक से अतिरिक्त काष्ठ हिस्से को निकालने में, मध्यम कार्यांग के औजार नक्काशी कार्य में तथा पतले कार्यांग के औजार डिजाइन हेतु उपयोग किया जाता है।



2. गोल कोरनी या हाफ राउंड-

गोल कोरनी या हॉफ राउंड काष्ठशिल्प निर्माण का दूसरा मुख्य औजार है। काष्ठशिल्प निर्माण के कार्यभिन्नता के अनुरूप इसके 12-15 प्रकार होते हैं। लौह निर्मित इस लंबे औजार का आकार आयताकार व कार्यांग चौड़ा, धारदार तथा अर्धगोलाकार, तथा पिछला सिरा चौड़ा होता है। गोल कोरनी या हॉफ राउंड के कार्यांग या धारदार सिरे को काष्ठ पर रखकर पिछले भाग पर काष्ठ की हथौड़ी से प्रहार किया जाता है। इस औजार के विभिन्न प्रकारों का उपयोग काष्ठशिल्प में नक्काशी तथा सजावट के लिये आवश्यकतानुसार किया जाता है। इसके द्वारा अर्धगोलाकार तथा गोलाकार व रेखाओं के डिजाइन बनाये जाते हैं।



3. तीन कोनिया या कोरनी-

तीन कोनिया या कोरनी, काष्ठशिल्प निर्माण में उपयोग किया जाने वाला तीन कोनों का औजार है। काष्ठशिल्प निर्माण के कार्यभिन्नता के अनुरूप इसके 6-10 प्रकार होते हैं। लौह निर्मित इस लंबे औजार का आकार आयताकार व कार्यांग तीन कोनोयुक्त धारदार तथा पिछला सिरा चौड़ा होता है। तीन कोनिया या कोरनी कार्यांग या धारदार सिरे को काष्ठ पर रखकर पिछले भाग पर काष्ठ की हथौड़ी से प्रहार किया जाता है। इस औजार के विभिन्न प्रकारों का उपयोग काष्ठशिल्प में नक्काशी तथा सजावट के लिये आवश्यकतानुसार किया जाता है। इसके द्वारा त्रिकोण, चौकोन तथा रेखाओं के डिजाइन बनाये जाते हैं।



4. मुठला या काष्ठ हथौड़ी-

काष्ठशिल्प निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण औजार मुठला या काष्ठ हथौड़ी है। इसका उपयोग काष्ठशिल्प निर्माण के प्रत्येक चरण में होता है। इसमें हथौड़ी तथा पकड़ने का हत्था दोनों ही काष्ठ निर्मित होते हैं। इसका निर्माण स्वयं काष्ठशिल्पी या बढ़ई करता है। काष्ठशिल्प निर्माण हेतु मुठला या काष्ठ हथौड़ी के उपयोग का कारण हल्का वजन, गोलाकार व चौड़ा प्रहार सिरा होना है। इस कारण शिल्पी लोहे के पतले व लंबे औजारों पर लगातार व नियंत्रित प्रहार कर नक्काशी का कार्य करता है। प्रहार की तीव्रता कम होने के कारण काष्ठ व नक्काशी की डिजाइन सुरक्षित रहता है व बारीक नक्काशी कार्य भी संभव होता है।



5. दागनी -

परंपरागत काष्ठशिल्प से भिन्न तप्त गर्म लौह औजार से अंकन कर नये स्वरूप के काष्ठशिल्प के निर्माण हेतु भिन्न किस्म के औजारों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे औजारों के उपयोग के पूर्व इसके कार्यांग को भट्ठी में सुलगते कोयले में रखा जाता है, जब यह गर्म होकर लाल हो जाता है तो इस रक्त तप्त औजार से काष्ठशिल्प की सुंदरता हेतु विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों, पौधो-पत्तियां, पशु-पक्षियों आदि का अंकन किया जाता है। जिससे कच्ची लकड़ी से निर्मित काष्ठशिल्प पर काले रंग की सुंदर आकृतियाँ उभर जाती हैं। इस प्रकार के औजारों को दागनी औजार कहा जाता है। दागनी अर्थात् दागने या अंकन औजार। इसे स्थानीय लोहार से गोल लंबे लोहे के राड पर बनावाया जाता है। लौह अंकन के औजार तीन प्रकार के होते हैं-



5.1 सादा दागनी-

सादा दागनी अर्थात् सरल प्रकार के अंकन का औजार। इस औजार से कच्चे काष्ठ पर बने शिल्प पर रक्त तप्त गर्म लोहे से अंकन कर विभिन्न आकृति व डिजाइन बनाकर सजावट किया जाता है। साइज अनुसार इस औजार के अनेक प्रकार पाये जाते हैं। सादा दागनी से रेखायें, बिंदू, फूल, पशु-पक्षियों आदि का अंकन किया जाता है। इसे गोल लंबे लोहे के राड पर बनाया जाता है। इसके कार्यांग सिरे को चौड़ा कर उपरी भाग को नोकदार तथा दूसरे सिरे को धारदार कर त्रिभुजाकार रूप में बनाया जाता है। इस औजार के निचले सिरे में पकड़ने के लिये लकड़ी का हत्था लगाया जाता है।



5.2 गोल या राउंड दागनी-

गोल या राउंड दागनी अर्थात् गोलाकार अंकन का औजार। इस औजार से कच्चे काष्ठ पर बने शिल्प पर रक्त तप्त गर्म लोहे से अंकन कर विभिन्न गोलाकार व अर्धगोलाकार आकृति व डिजाइन बनाकर सजावट किया जाता है। साइज अनुसार इस औजार के अनेक प्रकार पाये जाते हैं। इसे गोल लंबे लोहे के राड पर बनाया जाता है। इसके कार्यांग सिरे को चौड़ा कर उपरी भाग को अर्धगोलाकार तथा सिरे को नोकदार तथा धारदार कर बनाया जाता है। इस औजार के निचले सिरे में पकड़ने के लिये लकड़ी का हत्था लगाया जाता है।



5.3 टोकसी-

टोकसी औजार से कच्चे काष्ठ पर बने शिल्प पर रक्त तप्त गर्म लोहे से अंकन कर बिंदू या बिंदूवार आकृति व डिजाइन बनाकर सजावट किया जाता है। साइज अनुसार इस औजार के अनेक प्रकार पाये जाते हैं। इसे गोल लंबे लोहे के राड पर बनाया जाता है। इसके कार्यांग सिरे को पतला कर उपरी भाग को नोकदार बनाकर मोड़ दिया जाता है। इस औजार के निचले सिरे में पकड़ने के लिये लकड़ी का हत्था लगाया जाता है।



6. सामान्य काष्ठ कार्य से जुड़े औजार-

काष्ठशिल्प कार्य एवं बढ़ई कार्य काष्ठ से जुड़ा हुआ है। अनेक काष्ठशिल्पी बढ़ई कार्य में भी प्रवीण होते हैं। काष्ठशिल्प कार्य के शिल्पियों द्वारा सामान्य बढ़ई कार्य से जुड़े औजारों का उपयोग किया जाता है। इसमें कुल्हाड़ी व आरी- काष्ठ को काटने, बसूला- काष्ठ को छिलने, गिरमिट- काष्ठ में छेद करने, रेतमल- काष्ठ को घिसकर साफ करने, मिसना (पत्थर)- औजार को धार करने, पेंसिल- निशान व चित्र बनाने आदि में उपयोग किया जाता है।



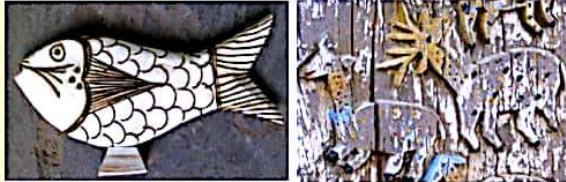
काष्ठकला का डिजाइन या काष्ठ शिल्प में सजावट डिजाइन-

काष्ठशिल्प निर्माण कार्य बहुस्तरीय कार्य है। काष्ठशिल्प तैयार करने के पूर्व शिल्पी के अवचेतन में शिल्प निर्माण के प्रारंभिक चरण से पूर्णता तक विचार स्पष्ट होता है तथा शिल्पी चरणबद्ध रूप से शिल्प निर्माण कार्य को पूर्ण करता है। काष्ठशिल्प निर्माण का प्रारंभिक चरण का कार्य शीघ्रता से पूर्ण होता है किंतु अंतिम चरण का कार्य अत्यंत एकाग्रता, तल्लीनता से परिपूर्ण व समयसम्यक् होता है। इस चरण में शिल्प की सजावट व फिनिशिंग कार्य किया जाता है। शिल्प में ज्यामितीय चित्रें, पशु-पक्षी, सूर्य, चंद्रमा,



तारे आदि की नक्काशी कर सजावट किया जाता है। काष्ठशिल्प में किये जाने वाले सजावट ही उसे सजीवता व सुंदरता प्रदान करते हैं। सजावट हेतु उपयोग किये जाने वाले सामान्य व बहुपयोगी डिजाइन निम्नांकित हैं-

1. बिंदू- काष्ठशिल्प में श्रृंगार करने के लिये बिंदू आकृति का प्रयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। बिंदू का प्रयोग श्रृंगार, पृष्ठभूमि या आँख जैसे शारीरिक अंगों को दर्शाने के लिये किया जाता है। दक्षिण



बस्तर के काष्ठ निर्मित स्मृति स्तंभ में बिंदू औजार से बनाये जाते हैं। कभी-कभी लाल-पीले-काले रंग के पेंट से भी बिंदू बनाकर दर्शाते हैं।

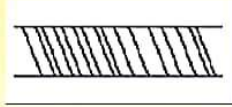
2. गोलाकृति- काष्ठशिल्प में विभिन्न वस्तुओं जैसे-सूर्य, चंद्रमा, पत्थर, सर्प आदि को दर्शाने तथा सजावट के लिये गोल या अर्धगोलाकृति का प्रयोग किया जाता है। इन आकृतियों को बनाने के लिये गोल कोरनी या हॉफ राउंड औजार का प्रयोग किया जाता है। कच्चे काष्ठ के शिल्प पर गोल या राउंड दागनी औजार को भट्ठी में गर्म कर गोलाकार व अर्धगोलाकार आकृति व डिजाइन बनाया जाता है।



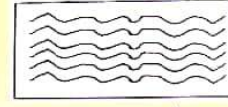
3. चौकोन या आयताकार- काष्ठशिल्प में चौकोन या आयताकार आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। यह फ्रेम के रूप में, वस्तु के रूप में या उसके एक भाग के रूप में या डिजाइन के रूप में होता है। यह संपूर्ण कलाशिल्प की सुंदरता में वृद्धि करता है। इस डिजाइन को बनाने के लिये रेखाओं का सीधे व आड़े रूप में प्रयोग किया जाता है जिससे चौकोन व आयताकार डिजाइन बनने के साथ ही एक स्वरूप उभर आता है।



4. **रेखा या लाइन सिंगार-** काष्ठशिल्प में रेखा या लाइन सिंगार(श्रृंगार) का विविध रूपों में उपयोग होता है। काष्ठशिल्पियों द्वारा एकल, बहु, सीधी, तिरछी, लहरदार रेखाओं का बेहद कलात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है। रेखाओं की लंबाई व मोटाई शिल्प में आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। यह वस्तु या उसके भाग को दर्शाने में या श्रृंगार में उपयोग किया जाता है। रेखाओं का सटीकता से उपयोग काष्ठशिल्प को सजीवता प्रदान करता है।

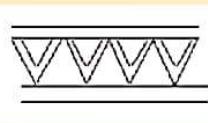
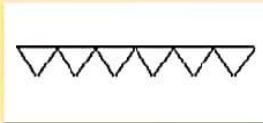


रेखा या लाइन श्रृंगार



लहरदार लाइन श्रृंगार

5. **कोकटी सिंगार-** नारायणपुर क्षेत्र में काष्ठशिल्प पर किये जाने वाले विशेष श्रृंगार को कोकटी सिंगार(श्रृंगार) कहा जाता है। यह काष्ठ पर नक्काशी का पारंपरिक डिजाइन है। जिसे घोटूल खंब, दरवाजे, चुनौटी आदि पर नक्काशी किया जाता है। इसे अधोदर्शित स्वरूप में विभिन्न आकार व प्रकार में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिये काष्ठ पर एक कतार में त्रिभुजाकार या लहरदार आकृति की नक्काशी की जाती है।



कोकटी श्रृंगार



कोकटी श्रृंगार पेटी

6. **फूल, पत्ते व बेल-** शिल्पी जनजातीय काष्ठशिल्प पर विभिन्न प्रकार के फूल, पत्ते व बेलों की सजावट करते हैं। ये वास्तविक फूल, पत्ते व बेलों की नकल या काल्पनिक होते हैं। फूल, पत्ते व बेलों को रेखाओं से या नक्काशी द्वारा उकेरा जाता है। जिससे काष्ठशिल्प सुंदर व सजीव दिखाई देते हैं। आम, महुआ, साल आदि वृक्ष के पत्तियों का डिजाइन बनाया जाता है।



7. जलीय जीव जंतु- जनजातीय काष्ठशिल्प पर विभिन्न प्रकार जलीय जीव-जंतुओं का चित्र नक्काशी किया जाता है। यह परंपरागत काष्ठशिल्प पर अधिक दिखाई देता है। जैसे- स्मृति स्तंभ, घोटूल खंब, घोटूल के खंबे आदि पर मछली, मगर, कछुआ, केकड़ा आदि नक्काशी किया जाता है। इन जलीय जीव-जंतु का गोत्र/टोटम आधारित होना, प्राचीन लोक कथाओं, जीवन के प्रारंभ से जुड़ी अनेक मिथकों में इन जीवों का उल्लेख होना तथा जलीय जीव-जंतु के शिकार से लगाव होने के कारण इनकी नक्काशी किया जाता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस प्रकार की नक्काशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार काष्ठकला में किसी जल तथा जलीय जीवों से जुड़े मिथक को प्रदर्शित किया जाता है।



8. थलीय जीव जंतु- काष्ठशिल्प पर विभिन्न प्रकार थलीय पालतू पशुओं, वन्य जीव-जंतु, पशु-पक्षियों का नक्काशी किया जाता है। इस प्रकार के जीव-जंतु काष्ठशिल्प पर दर्शाये गये विषय वस्तु का हिस्सा होते हैं। इनका सजावट हेतु उपयोग भी किया जाता है। स्मृति स्तंभ में परंपरागत रूप से बनाये जा रहे नक्काशियों में जीव-जंतुओं के अंग अनुपातिक रूप से असमान होते हैं। इस प्रकार की नक्काशियां जीवन से जुड़े प्रसंग, घटना, आर्थिक निर्भरता, शिकार, पशुप्लन पर आधारित होते हैं। व्यावसायिक रूप से बनाये जा रहे काष्ठशिल्प पर जनजातीय संस्कृति व थलीय पालतू पशुओं, वन्य जीव-जंतु, पशु-पक्षियों से जुड़े प्रसंग की नक्काशी की जाती है।



हस्तशिल्प के विकास हेतु योजनायें

छत्तीसगढ़ राज्य में 14 प्रकार के शिल्पकलाएँ प्रचलित हैं। इनके हस्तशिल्पों के संरक्षण, विकास तथा संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड नामक उपक्रम का गठन किया गया है। यह उपक्रम शिल्पियों के उत्पाद में गुणवत्तात्मक सुधार, प्रशिक्षण, संरक्षण, संवर्धन व विपणन के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का संचालित कर रहा है।

1. प्रशिक्षण योजना:-

हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के परम्परागत/गैर परम्परागत शिल्पियों को कृषि व गैर कृषि सेक्टर के अल्पकालिक रोजगार प्राप्त मजदूरों एवं शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। शासन की नई नीति के अनुरूप प्रशिक्षण स्वरोजगार के लिए दिया जाता है। प्रशिक्षण इस स्तर का होना चाहिए कि शिल्पी खुले बाजार में अपने प्रतिद्वन्द्वियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सके, इस हेतु प्रशिक्षण को अत्याधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं में शिल्पियों के लिये विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जिनमें प्रमुख है :- स्तर प्रशिक्षण समयावधि प्रथम बुनियादी प्रशिक्षण 6 माह, द्वितीय उन्नत प्रशिक्षण 6 माह, तृतीय अति उन्नत प्रशिक्षण 6 माह, चतुर्थ समग्र प्रशिक्षण 6 माह, पंचम शिल्प कार्यशाला 15 से 30 दिन उपरोक्त प्रशिक्षण योजनाओं में राज्य शासन से प्राप्त बजट एवं विभागीय मापदंडों के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों का शिल्प में प्रशिक्षण के साथ-साथ छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

2. हस्तशिल्पियों का पंजीयन:-

हस्तशिल्प के क्षेत्र में हस्तशिल्पियों का पंजीयन महत्वपूर्ण योजना है, जिसके पश्चात् शिल्पी विभागीय योजनाओं के अंतर्गत समस्त सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत इच्छुक शिल्पी बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके साथ ही विभाग को पंजीयन से शिल्पियों की शिल्पकार आंकड़े की जानकारी प्राप्त होती है।

3. औजार उपकरण/कर्मशाला निर्माण अनुदान:-

परम्परागत एवं प्रशिक्षित हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए राशि रु. 5000/- तक की सीमा में औजार उपकरण अनुदान एवं राशि रुपये 10000/- तक कर्मशाला निर्माण अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। पिछड़े/सामान्य वर्गों के शिल्पियों के लिए 75 प्रतिशत अनुदान एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के शिल्पियों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान की सुविधा है।

4. हस्तशिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना:-

शिल्प की उच्च गुणवत्ता बनाये रखने की दृष्टि से हस्तशिल्पियों को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से “राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रतियोगिता” चयन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें चयनित कलाकृति के निर्माणकर्ता शिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं प्रोत्साहन राशि रूपये 25000/- नगद, ताम्रपत्र, श्रीफल एवं शाल भेंट की जाती है अभी तक विभिन्न शिल्प के जिनमें बेलमेटल, काष्ठशिल्प, लौहशिल्प, बांसशिल्प, कौड़ीशिल्प, गद्देना शिल्प, भित्तीचित्र एवं मृदाशिल्प के 79 शिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

5. सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता:-

योजना का उद्देश्य हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य करने वाले पंजीकृत सहकारी समिति/ट्रस्ट को कार्यशील पूंजी, कर्मशाला निर्माण, उन्नत औजार उपकरण, कच्चा माल क्रय एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। आर्थिक सहायता अधिकतम राशि रूपये 25000/- तक की सुविधा प्रदान की जाती है।

6. शिल्पियों को मासिक आर्थिक सहायता:-

प्रदेश के विभिन्न शिल्पों में कार्यरत शिल्पी, शिल्पगुरु, राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य स्तरीय पुरस्कार, कला श्री पुरस्कार एवं तुलसी सम्मान से सम्मानित हैं, जिनके द्वारा कला एवं संस्कृति में सम्मान पाकर अपने प्रदेश एवं राष्ट्र का नाम गौरवान्वित किया है, ऐसे सम्मान प्राप्त शिल्पियों को वृद्धावस्था में असहाय होकर रोजगार के लिए भटकना ना पड़े इस उद्देश्य से 60 वर्ष आयु के पश्चात् जीवनकाल तक राशि रूपये 5000/- प्रतिमाह मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा शिल्पी की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी/पति को जीवनकाल तक 2500/- अनुग्रह राशि की आर्थिक सहायता जीवन पर्यन्त प्रदान किया जाता है।

काष्ठशिल्प क्षेत्र में समस्याएं एवं अभिमत

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हस्तशिल्प के विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु संचालित उत्साहवर्धक योजनाएं जैसे- प्रशिक्षण योजना, हस्तशिल्पियों की पंजीयन योजना, औजार/कर्मशाला निर्माण अनुदान योजना, राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना, सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता योजना, शिल्पियों को मासिक-आर्थिक सहायता योजना आदि का संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके बावजूद भी काष्ठशिल्प क्षेत्र में कुछ आधारभूत समस्याएं शिल्पकारों के समक्ष उपस्थित होती हैं।



जैसे -

- उन्हें कच्चे माल की निरंतर एवं सरलता से अनुपलब्धता एवं व्यवसायिक संस्थानों से कच्चा माल अधिक मूल्य पर क्रय किया जाना।
- काष्ठशिल्प का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलना।
- परंपरागत, प्रशिक्षित/कुशल कारीगरों की सहभागिता न होना जिसके कारण कला का उन्ही के स्तर पर हास होना।
- मूल जनजातीय शिल्पकारों की सहभागिता में कमी होना जिससे व्यवसायिक एवं गैर आदिवासी कलाकारों के द्वारा निर्मित काष्ठ कलाकृतियों में पैटर्न की बारंबार पुनरावृत्ति होना जिससे मूल आदिवासी संस्कृति के दर्शन जो सामान्य जनमानस को आकर्षित करते हैं काष्ठ कलाकृतियों पर न आ पाना आदि।

उपरोक्त समस्याओं का भी निराकरण एवं स्थानीय आदिवासी कलाकारों की सहभागिता एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जा सकता है। तबकि स्थानीय लोग इस काष्ठकला को आने वाली पीढ़ी के लिए जीवंत रख सकें, साथ ही रोजगार के प्रमुख साधन के रूप में इसे स्वीकार कर सकें।

संचालक

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
रायपुर, छत्तीसगढ़

प्रमुख काष्ठ कलाकारों की सूची

1. श्री अजय मंडावी, जनजाति-गोंड, ग्राम-गोविंदपुर, जिला-कांकेर.
2. श्री पंडीराम मंडावी, जनजाति- मुरिया, ग्राम-गढ़बेंगाल, जिला-नारायणपुर.
3. श्री बलदेव मंडावी, जनजाति- मुरिया, ग्राम-गढ़बेंगाल, जिला-नारायणपुर.
4. श्री चुचाई सोढ़ी, जनजाति- मुरिया, ग्राम-हलामी मुंजमेटा, जिला-नारायणपुर.
5. श्री सोमारू सोढ़ी, जनजाति- मुरिया, ग्राम-नाऊ मुंजमेटा, जिला-नारायणपुर.
6. श्री मूरा सोढ़ी, जनजाति- मुरिया, ग्राम-नाऊ मुंजमेटा, जिला-नारायणपुर.
7. श्री शंकर सोढ़ी, जनजाति- मुरिया, ग्राम- गढ़बेंगाल, जिला-नारायणपुर.
8. श्री लक्ष्मण दुग्गा, जनजाति- मुरिया, ग्राम- पालकी, जिला-नारायणपुर.
9. श्री बुटलू मातरा, जनजाति- मुरिया, ग्राम- बेनूर, जिला-नारायणपुर.
10. श्री मंगलसिंह नाग, जनजाति धुवा ग्राम-कोहकापाल, वि.ख. बकावण्ड, जिला बस्तर
11. श्री दशरथ विश्वकर्मा, जाति- लोहार, ग्राम-सरगीगुड़ा, जिला-बस्तर.
12. श्री रामनाथ, ग्राम-सरगीगुड़ा, जिला-बस्तर.
13. श्री चिंगडू बघेल, ग्राम भाटपाल, जिला-बस्तर.
14. श्री संतोष कश्यप, जाति-लोहार. डेंगगुड़ा पारा, ग्राम- रतेंगा, जिला-बस्तर.
15. श्री झुरू कश्यप, जाति-लोहार. डेंगगुड़ा पारा, ग्राम- रतेंगा, जिला-बस्तर.
16. श्री कलीनथ कश्यप, जाति-लोहार. डेंगगुड़ा पारा, ग्राम- रतेंगा, जिला-बस्तर.
17. श्री अंतूराम कश्यप, जाति-लोहार. डेंगगुड़ा पारा, ग्राम- रतेंगा, जिला-बस्तर.

